न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 12/2024 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2024/14**

1. केसूराम पुत्र स्व. श्री भानीराम जाति बाजीगर निवासी बुधवालियां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

— अपीलान्ट

बनाम

1. शिवदत्त
2. श्रीचन्द
3. इमीलाल
4. बंसीलाल

(1 से 4) पिसरान् बृजलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 25 एम.ओ.डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

5. राजस्थान सरकार।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक अपीलांट
श्री राजकुमार व्यास — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 4

निर्णय

दिनांक 18.09.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार पीलीबंगा के आदेश दिनांक 07.04.2001 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1— वादग्रस्त भूमि चक 8 एच.पी.डी का पत्थर नं. 10/258 (62) के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25, में 5 बीघा व पत्थर नंबर 9/258 (63) के किला नंबर 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 में 10 बीघा कुल 15 बीघा भूमि अपीलांट के पिता भानी पुत्र भादरराम को आवंटित हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने उक्त भूमि अपीलांट के पिता भानी पुत्र भादरराम से दिनांक 03.07.1969 को बैय कर ली थी। भानीराम का देहान्त दिनांक 05.08.1974 को हो गया था। भानी पुत्र भादरराम अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। उक्त विक्रय को अति. जिला कलक्टर(सर्तकता), श्रीगंगानगर द्वारा नियमित करते हुए राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश प्रदान किए। अति. जिला कलक्टर(सर्तकता) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 18.01.1993 की पालना में तहसीलदार पीलीबंगा ने इंतकाल संख्या 83 दिनांक 07.04.2001 दर्ज कर दिया। तहसीलदार पीलीबंगा के इंतकाल संख्या 83 दिनांक 07.04.2001 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट के पिता भानी पुत्र भादरराम को आवंटित हुई। जिसका सनद क्रमांक 614 दिनांक 21.06.1969 को अपीलांट के पिता भानीराम के नाम जारी की गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने उक्त भूमि अपीलांट के पिता भानी पुत्र भादरराम से दिनांक 03.07.1969 को फर्जी बैयनामें के आधार पर बैय कर ली। अपीलांट का पिता अनपढ़ होने के कारण व कानूनी ज्ञान ना होने

के कारण रेस्पोडेन्टस् द्वारा अपीलांट के पिता भानीराम के नाम से फर्जी बैयनामा बिना मंजूरी लिए निष्पादित करवाया गया था। अपीलांट के पिता भादरराम अनुसूचित जाति का व्यक्ति थे। रेसपोडेन्ट संख्या 1 ता 4 स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। उक्त फर्जी बैयनामा शुरू से ही शून्य है क्योंकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि स्वर्ण जाति का व्यक्ति नही खरीद सकता है। अपीलांट के पिता भानीराम बाजीगर को राजपूत लिखकर बैयनामा रेरपोडेन्ट संख्या 1 ता 4 को बैय की गई। उक्त बैयनामा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के पक्ष में निष्पादित बैयनामें को बैध मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पक्ष में अपीलाधीन भूमि का नियमन कर दिया। अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 18.01.1993 की पालना में तहसीलदार पीलीबंगा ने इंतकाल संख्या 83 दिनांक 07.04.2001 दर्ज कर दिया। अवैध बैचान एवं अवैध नियमन के आधार पर दर्ज इंतकाल भी अवैध है। नियमन का आदेश विवादित था इस कारण उक्त आदेश की पालना में दर्ज इंतकाल भी विवादित माना जाएगा। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के द्वारा फर्जी बैयनामा के आधार पर किया गया नियमन एवं इंतकाल संख्या 83 दिनांक 07.01.1993 को निरस्त किया जावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया हैं।

1 आर.आर.डी. 1992 पेज संख्या 634
2 आर.आर.डी 2002 पेज संख्या 134

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि का नियमन अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट 1 ता 4 के हक में किया। अपीलांट के अनुसार वादग्रस्त भूमि उसके पिता के नाम से आवंटित हुई, अपीलांट रेस्पोडेन्ट्स के यहां काम करता था। जिसका अनुचित लाभ उठाकर रेस्पोडेन्ट्स ने पूंजी तरीके से बैयनामा अपने हक में करवा लिया। अपीलांट ने अपने अपील मीमों के पैरा नं 1 में लिखा है कि अपीलांट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। इस बैयनामा से धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का उल्लंघन हुआ है। इस सदर्भ में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कहना है कि विक्रेता अपनी भूमि विक्रय करके प्रतिफल राशि प्राप्त कर चुका है। अतः अब उसे वापिस भूमि नहीं लौटाई जा सकती है। बैयनामा दिनांक 03.07.1969 का है जिसे करीब 55 वर्ष हो चुके है। इसलिए अब तहसीलदार राजस्व को भी धारा 175 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। अपीलांट के अनुसार उसके पिता से रेस्पोडेन्ट्स ने धोखें से बैयनामा करवा लिया गया। अपीलांट को इस तथ्य की जानकारी हुई तो अपीलांट अथवा उसके पिता ने रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध आज तक कोई अपराधिक कार्यवाही नही की। अपीलांट अथवा उसके पिता ने बैयनामा को निरस्त करवाने की कार्यवाही सिविल कोर्ट में नहीं की। उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी का नाम हटाने व उन्हे भूमि से बेदखल करने का किया, जिसे न्यायालय ने वाद कारण व लिमिटेशन के आधार पर खारिज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के आदेश दिनांक 28.12.2023 के विरूद्ध अपीलांट ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। अपीलांट की

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर सत्यमेव जयते

संभागीय आयुक्त बीकानेर

अपील अपूर्ण व अस्पष्ट है, विधि विरूद्ध है; मियांद बाहर है। उसके कथन विरोधीभासी है। अतः अपीलांट की अपील निरस्त की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया हैं।

1 आर.आर.डी. 1994 पेज संख्या 773

2 आर.आर.डी 1995 पेज संख्या 102

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, न्यायिक दृष्टांत तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा दर्ज अपीलाधीन इंतकाल संख्या 83 दिनांक 07.04.2001 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 18.01.1993 की पालना में दर्ज हुआ है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता), श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 18.01.1993 द्वारा अपीलाधीन भूमि के विक्रय को नियमित कर दिया, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघंन होने के कारण न्यायोचित नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के उल्लंघन में बेची गई भूमि का विक्रय प्रारम्भ से ही शून्य होता है। अपीलाधीन इंतकाल संख्या 83 अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 18.01.1993 की पालना में दर्ज होने के कारण अनुचित हैं। उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए अपीलाधीन इंतकाल संख्या 83 दिनांक 07.04.2001 निरस्त किया जाकर तहसीलदार पीलीबंगा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत सक्षम स्तर पर कार्यवाही की जावें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अंपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर